न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 02/2021 दायरा दिनांकः– 24.08.2021

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

<u>उनवान</u>

अरविन्दसिंह पुत्र सुखवीरसिंह जाति जाट निवासी घोडा चौक उदयपुरिया तहसील किशनगंज जिला बारां। – अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. सन्तकुमार पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा निवासी उदयपुरिया तहसील किशनगंज जिला बारां।
2. प्रेम बाई पत्नि शंकरलाल जाति बैरवा निवासी उदयपुरिया तहसील किशनगंज जिला बारां।
3. विद्याबाई पुत्री शंकरलाल जाति बैरवा निवासी उदयपुरिया तहसील किशनगंज जिला बारां।
4. सुगनाबाई पुत्री शंकरलाल जाति बैरवा निवासी उदयपुरिया तहसील किशनगंज जिला बारां।
5. धनकुवंर पुत्री शंकरलाल जाति बैरवा निवासी उदयपुरिया तहसील किशनगंज जिला बारां।
6. हेमलता पुत्री शंकरलाल पत्नि बन्टी जाति बैरवा निवासी निवासी कोटा जिला–कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

अभिभाषक अपीलान्ट–श्री रविन्द्रसिंह हाडा।

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 12.04.2021 प्रकरण संख्या 06/2017 बउनवान सन्तकुमार बगेरहा बनाम अरविन्दसिंह, अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट।

<u>निर्णय</u> दिनांकः–22.03.2022

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के निर्णय दिनांक 12.04.2021 प्रकरण संख्या 06/2017 उनवान भंवरलाल बनाम नारायण अन्तर्गत धारा 183 (बी) की अपील इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। सरिता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फिस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए। अपीलान्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट द्वारा धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत आवेदन पेश किया था जिसे दिनांक 12.04.2021 को स्वीकार का आदेश दिया है कि अप्रार्थी को विवादित आराजी वांके ग्राम उदयपुरिया तहसील किशनगंज की खाता संख्या नया 98 पुराना 94 खसरा नम्बर 152 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1[illegible] बीघा 5 बिस्वा व वर्तमान खाता संख्या नया 99 व पुराना 95 खसरा नम्बर 15[illegible] 18 बिस्वा [illegible] आराजी खाता संख्या नया 98 व पुराना 94 खसरा नम्बर 152 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा व वर्तमान खाता संख्या नया 99 पुरा[illegible] खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:35 IST
Reason: SelfAttested

150 रकबा 18 बिस्वा से अपीलान्ट/अप्रार्थी को बेदखल कर प्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार को कब्जा संभलाया जावे। जिसकी अप्रसन्नता से अपीलान्ट यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.04.2021 खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने मे भारी भूल की है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण की किसी भी भूमि पर जबरन कब्जा नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण के पिता श्री शंकरलाल द्वारा उक्त वर्णित आराजी जरिये इकरार नामा व शपथ पत्र अपीलान्ट/अप्रार्थी को बेचान कर दी थी। श्री शंकरलाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण के मन में बदयांति आ गई है। इस कारण यह झूठी कार्यवाही पेश की है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गोर नही करके अपीलान्ट के खिलाफ उक्त निर्णय/आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पूर्णतः यह साबित कर दिया था कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्ट की उक्त आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं किया है। बल्कि रेस्पोडेण्ट के पिता शंकरलाल द्वारा उक्त आराजी को बेचान की लिखापढी इकरार नामा व शपथ पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित कर अपीलान्ट को बेदखल करने का जो आदेश दिया है, वह सर्वथा अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। उक्त निर्णय की अनुपालना में रेस्पोडेण्ट को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। यदि ऐसा हुआ तो प्रार्थी/अपीलान्ट का यह अपील करना व्यर्थ हो जावेगा तथा अपीलान्ट के साथ भारी अन्याय होगा एवं अपीलान्ट को अपार क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी एवं अनन्य मुकदमे बाजी में उलझना पडेगा। निर्णय दिनांक 12.04.2021 की नकल प्रार्थी समय पर प्राप्त नहीं कर सका था। क्योंकि कोविड–19 महामारी के रिण लॉक डाउन लगा हुआ था तथा लॉक डाउन के समय घरों से निकलना असंभव था। लॉक डाउन हटने के बाद प्रार्थी/अपीलान्ट ने अधीनस्थ में दिनांक 02.07.2021 को उपस्थित हुआ तथा नकल निर्णय हेतु आवेदन पेश किया व दिनांक 08.07.2021 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु दिनांक 12.04.2021 से 08.07.2021 तक का समय डिले कन्डोन करने के बाद अपील अन्दर मियाद पेश है धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन व शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। वकील अप्रार्थी ने इकरार नामें के आधार पर बेचान होना तथा पुराना कब्जा काश्त होना बताया।

उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि आराजी ख.नं. 152 की 2.17 बीघा, ख.नं. 172 की 3.05 बीघा, ख.नं. 150 की 18 बिस्वा ग्राम उदयपुरिया के रिकार्डड खातेदार प्रार्थीगण है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भूमि को नोटेरी या अन्य किसी प्रकार के बेचान से हस्तान्तरण न[illegible] सकता यह राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन है अप्रार्थीगण [illegible] आराजी पर अतिक्रमण की हैसियत से कब्जा बनाये रखने को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आराजी ख.नं. 152 की 2.17 बीघा, ख.नं. 172

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:35 IST
Reason: SelfAttested

की 3.05 बीघा, ख.नं. 150 की 18 बिस्वा ग्राम उदयपुरिया तहसील किशनगंज रेस्पोडेण्ट सन्तकुमार बगैरहा जाति बैरवा की खातेदारी में है। अपीलान्ट भूमि क्रय करने बाबत् जो दस्तावेज की प्रति पेश की है। उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज नहीं है। इस प्रकार उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर दर्शाया गया कथित बेचान विधी सम्मत नहीं माना जा सकता है। अनुसूचित जाति (बैरवा) की भूमि का बेचान सामान्य जाति के पक्ष किया गया हो तो भी शून्य है।

इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट की खातेदारी आराजी आराजी ख.नं. 152 की 2.17 बीघा, ख.नं. 172 की 3.05 बीघा, ख.नं. 150 की 18 बिस्वा ग्राम उदयपुरिया पर किया गया कब्जा विधी विरूद्ध होना सिद्ध होता है निर्णय तहसीलदार किशनगंज दिनांक 12.04.2021 अन्तर्गत धारा 183(बी) उचित पाये जाने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:35 IST
Reason: SelfAttested